DR. BHIMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
Office of the Controller of Examinations,
Bharat Scout Office Campus, JLN Marg, Near P.N.B.,
Bajaj Nagar, Jaipur (Raj.)302015
www.alujaipur.ac.in
E-Mail: coe@alujaipur.ac.in

क्रमांक प.4(3)परीक्षा–आयोजन/अविवि/2025–26/ 247 दिनांकः 14-04-2026

आवश्यक सूचना

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के विधि पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ राजस्थान राज्य स्थित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर संचालित हैं। विश्वविद्यालय में नकल व अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित "**सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम,1992**" प्रभावी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रों पर नकल/अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों व इस कार्य में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने को विश्वविद्यालय व परीक्षा केन्द्राधीक्षक सक्षम होंगें। नकल/अनुचित साधनों के प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों/व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत **तीन वर्ष का कारावास या नियत राशि तक जुर्माना या दोनों दण्ड** एक साथ दिये जा सकते हैं। साथ ही **विभिन्न सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में बैठने से भी परीक्षार्थी/व्यक्ति को रोका जा सकता है।** परीक्षा केन्द्र पर पकडे गये अनुचित साधनों के सभी मामलों पर परीक्षा केन्द्राधीक्षक विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने की कार्यवाही करेंगें।

एतदर्थ सभी परीक्षार्थियों/व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के दौरान नकल/अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें।

समस्त परीक्षार्थी सचेत रहें कि अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्रों पर आकस्मिक/औचक निरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से उडनदस्तों का गठन किया गया है। आकस्मिक/औचक निरीक्षण के दौरान विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से अनुचित साधनों के प्रयोग के प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। जिन पर उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार व विश्वविद्यालय में अंगीकृत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

अतः समस्त परीक्षार्थियों व व्यक्तियों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग से बचें व अपनी परीक्षा पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से देवें।

शुभकामना सहित,

(डॉ0 नीरज जैन)
परीक्षा नियंत्रक

DR. BHIMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
Office of the Controller of Examinations,
Bharat Scout Office Campus, JLN Marg, Near P.N.B.,
Bajaj Nagar, Jaipur (Raj.)302015
www.alujaipur.ac.in
E-Mail: coe@alujaipur.ac.in

क्रमांक : F.4(3) परीक्षा/अविवि/2025–26/ 246 दिनांक: 14-04-2026

केन्द्राधीक्षक,
विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्र,
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय,
जयपुर।

अति महत्वपूर्ण

विषयः– सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 की पालना में अनुचित साधनों के प्रयोग के दौरान पकडे गये परीक्षार्थियों का प्रोफार्मा 39–E और प्रोफार्मा एफ.एस.–B तैयार करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकडे गये परीक्षार्थियों के प्रकरणों में यह पाया गया है कि कुछ परीक्षा केन्द्रों द्वारा विश्वविद्यालय से प्रदत्त प्रोफार्मा 39-E (प्रतिवेदन–पत्र) व प्रोफार्मा एफ.एस.–B में समस्त वांछित सूचनायें भली प्रकार नहीं भरी जाती है अथवा कुछ कॉलम खाली छोड दिये जाते हैं अथवा वीक्षक/फ्लाइंग स्कवाड/केन्द्राधीक्षक द्वारा अपनी सुस्पष्ट टिप्पणी व प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है। कई प्रकरणों में यह भी पाया गया है कि अनुचित साधन प्रकरण की उत्तरपुस्तिकाओं के साथ यह फार्म प्रेषित नहीं किये जाते है अथवा ऐसे प्रकरणों की उत्तरपुस्तिकाओं को सामान्य परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल में पैक कर दिया जाता है, जिससे ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं कई बार अनावश्यक ही विधिक प्रकरणों का भी सामना करना पडता है। अतः इस संबंध में सभी केन्द्राधीक्षक कृपया निम्नलिखित प्रकिया की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें :

1– फार्म संख्या–39–ई (प्रतिवेदन–पत्र) भरते समय विवरण स्पष्ट एवं पठनीय रूप में भरना सुनिश्चित करें व निम्नानुसार विवरण अंकित करें –

I– फार्म के पृष्ठ सं. 1 के बिन्दु सं. I में परीक्षार्थी संबंधी समस्त विवरण एवं अनुचित साधन अपनाने के संबंध में मामला दर्ज होने के संबंध में समस्त विवरण।

II– फार्म के पृष्ठ सं. 2 के बिन्दु सं. II (B) Supervisory Staff Report(Invigilator/ Internal Flying Squad/University Flying Squad) में संबंधित वीक्षक/उडन दस्ते के सदस्यों से पूर्ण विवरण भरावें।

III– फार्म के बिन्दु सं. III में अभ्यर्थी का वक्तव्य संबंधित कॉलम परीक्षार्थी से दर्ज करावें।

IV- फार्म के बिन्दु सं. IV में वर्णित अनुसार कार्यवाही दर्ज करें।

V- फार्म के बिन्दु सं. V में केन्द्राधीक्षक संबंधित कॉलम में घटना का पूर्ण विवरण दर्ज करते हुए प्रमाणीकरण की प्रकियापूर्ण करें एवं अंतिम कॉलम VI में अपनी टिप्पणी आवश्यक रूप से दर्ज करे।

VI- फार्म के पृष्ठ सं. 4 पर वांछित विवरण व प्रमाणीकरण करें।

.....पृष्ठ.....2

DR. BHIMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
Office of the Controller of Examinations,
Bharat Scout Office Campus, JLN Marg, Near P.N.B.,
Bajaj Nagar, Jaipur (Raj.)302015
www.alujaipur.ac.in
E-Mail: coe@alujaipur.ac.in

2– अनुचित साधनों के प्रयोग वाली उत्तरपुस्तिकाओं के दायीं तरफ लाल स्याही से **'U.M. Case'** चिन्हित करें तथा लाल स्याही से ही परीक्षार्थी की प्रथम एवं द्वितीय उत्तरपुस्तिका का अंकन करते हुए दोनों उत्तरपुस्तिकाओं को आपस में नत्थी करें व पृथक पैकेट में पैक करते समय परीक्षार्थी का प्रवेश–पत्र, प्रश्न–पत्र की प्रति एवं बरामद अनुचित सामग्री (जिस पर वीक्षक/फ्लाइंग स्कवाड तथा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हों), प्रोफार्मा 39-E व FS-B मय केन्द्राधीक्षक के प्रमाणन के साथ पूर्ण विवरण भरते हुए पृथक लिफाफे में पैक करें तथा लिफाफे के ऊपर भी लाल स्याही से **'अनुचित साधन प्रकरण'** दर्ज करते हुए अन्य गोपनीय सामग्री के साथ ही प्रेषित करावें।

3– कृपया विस्तृत विवरण व जानकारी हेतु आपको प्रेषित प्रोफार्मा 67-E, 24-E का बिन्दु सं. 14, Letter for U.M./ Misconduct का उचित अवलोकन कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया ऐसे प्रकरणों का उचित रिकार्ड तैयार कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें व रिकार्ड की एक प्रति परीक्षा केन्द्र के रिकार्ड में सुरक्षित संधारित करें।

धन्यवाद।

(डॉ. नीरज जैन)
परीक्षा नियंत्रक